न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भीमराज बनाम भूमिधारी तहसीलदार दावा मु.नं. -21/2023	
03.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की जाती है। प्रकरण में वकील वादीगण ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहु पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 03/07/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
81/2023	2023/669	17.06.2023	03.07.2023

उनवान प्रकरण

1. श्रीराम पुत्र भगवानसहाय आयु 55 वर्ष
2. सज्जन पुत्र भगवानसहाय आयु 50 वर्ष

समस्त जाति यादव (अहीर) निवासीगण ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादीगण——

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. नवल किशोर पुत्र भगवानसहाय आयु 60 वर्ष जाति यादव(अहीर) निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री विजय कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक।

Signature Not Verified

दावा बाबत उद्घोषणा एंव [illegible]रूस्ती

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:[illegible]8:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

03/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 944, 946 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टर तन् ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। वादीगण के दादा नारायण के पुत्र भगवानसहाय के तीन पुत्र क्रमशः नवलकिशोर, श्रीराम, सज्जन उत्पन्न हुये हैं। प्रतिवादी नम्बर 2 नवल किशोर के पिता का नाम नारायण नही होकर भगवानसहाय हैं व नारायण नवल किशोर के दादा का नाम है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों यथा सैटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा नवल किशोर को गलत रूप से नारायण का पुत्र दर्ज किया गया हैं जो कतई गलत दर्ज हुआ हैं। उक्त गलती केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों यथा सैटलमेन्ट कर्मचारियों की गफलत व सहवन से दर्ज हुयी त्रुटि हैं। उक्त वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से पर वादी नम्बर 1 व 1/3 हिस्से पर वादी संख्या 2 व 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त हैं। इसी अनुसार भूमियों में पक्षकारान का हक हिस्सा विधि अनुसार बनता हैं। इसी अनुसार खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। पक्षकारान आपस में सगे भाई हैं। इसी कारण उक्त गलती बाबत् पूर्व में वादीगण द्वारा कोई चाराजोही या रिकार्ड को शुद्धि कराने बाबत् कोई आवेदन नही किया गया हैं परन्तु अब वर्तमान में चल रहे राजस्व अभियान में शुद्धि दर्ज कराने हेतु वादीगण द्वारा यह वादपत्र पेश किया जा रहा हैं। वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादी नम्बर 2 को रिकार्ड शुद्धि कराने बाबत् कहां तो वह आश्वासन देता रहा कि आप कभी भी दुरूस्ती करा लेना परन्तु अब कुछ समय से प्रतिवादी नम्बर 2 के मन में बदनियति आ गई हैं तथा वह आनाकानी करने लग गया हैं तथा उक्त प्रतिवादी नम्बर 2 ने दिनांक 10.06.2023 को खातेदारी दुरूस्त करवाने हेतु मना कर दिया। इस कारण माननीय [illegible]लय हाजा में वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं। बिनाया दावा प्रतिवा[illegible]म्बर [illegible]पास राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से दिनांक 10.06.202[illegible] [illegible] बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। दावा वादीगण विरू[illegible] प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

01/07/23
दिलीप सिं
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

फरमाए जाने का निवेदन वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में किया है कि भूमि खसरा नम्बर 944, 946 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टर वन ग्राम [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में प्रतिवादी नम्बर 2 के गलत नाम दर्ज खातेदारी नवल किशोर पुत्र नारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज फरमाया जाकर उक्त हिस्सा 1/2 को वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 में बराबर-बराबर दर्ज करते हुये वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जाकर रिकार्ड दुरूस्ती करने बाबत डिक्री पारित फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। यह वाद वास्ते उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा मय शपथ पत्र के पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील असालतन साधारण तरीके से करवाई गई। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश करने पर वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील [illegible] बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उप[illegible] अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2030–2033, 2033–2036, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

02/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी बन्दोबस्त इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 944, 946 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टर तन् ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी वादीगण व नवल किशोर पुत्र भगवान सहाय व नवल किशोर पुत्र नारायण के हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। जिसमें नवल किशोर पुत्र नारायण के नाम गलत खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना तथा नवल किशोर के पिता का नाम नारायण नही होकर भगवान सहाय दर्ज रिकार्ड होना तथा नारायण नवल किशोर के दादा का नाम होना प्रकट होता है। सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान् आपस मे सगे भाई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आधार कार्ड से प्रतिवादी नवल किशोर के पिता का नाम नारायण नहीं होकर भगवान सहाय दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 ने उपस्थित होकर वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा भी पेश किया है। इस आधार पर नवल किशोर पुत्र नारायण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसके अनुसार उसके स्थान पर उक्त हिस्सा 1/2 को वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 में बराबर–बराबर दर्ज करते हुये वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः [illegible] बाबत उद्घोषणा एंव रिकार्ड दुरूस्ती को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 944, 946 कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टर तन् ग्राम लिसाडिया

03/07/23

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में प्रतिवादी नम्बर 2 के गलत नाम दर्ज खातेदारी नवल किशोर पुत्र नारायण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर उक्त हिस्सा 1/2 को वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 में बराबर–बराबर दर्ज करते हुये वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

03/07/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)